संख्या-7/2020/60/एक-1-2020-1-1(55)/2006-157

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2020

विषय:- उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154(3) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-64/सात-डी0एल0आर0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-231 के आलोक में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154(3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके आइडियल एजूकेशन सोसाईटी द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु बिना अनुमति के ग्राम पांचली खुर्द तहसील व जनपद मेरठ में क्रय की गई 12.50 एकड़ से अधिक 6.84 एकड़ भूमि के सशुल्क विनियमितिकरण (कार्योत्तर स्वीकृति) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) आइडियल एजूकेशन सोसाईटी द्वारा 12.50 एकड़ से अधिक एकड़ भूमि 6.84 का विनियमितिकरण सशुल्क किया जायेगा।
(2) संस्था द्वारा जुर्माने के रूप में भूमि के लागत के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि यथाविहित रीति से भुगतान की जायेगी।
(3) क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर क्रय की गयी भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा।
(4) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
3. श्री संजय वंसल, सचिव, आइडियल एजूकेशन सोसाईटी, एस0डी0-522, शास्त्री नगर, गाजियाबाद- 201001
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in